

फर्द अहकाम

अर्जुनलाल बनाम फाल्गु कंग०

न्यायालय सहायक कलक्टर (FJ) राणपुरा - जयपुर

दावा - 53,185 RTA

संख्या 92/2025

सहायक कलक्टर
शहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा.ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या

:- श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
:- 92 / 2025

शीर्षक

1. अर्जुन लाल पुत्र सेडू
2. कमली देवी पत्नी शंकरलाल
3. कैलाश पुत्र सुवालाल
4. गोरूमल पुत्र सुन्दर
5. नरसाराम पुत्र सुन्दर
6. रूघा पुत्र गंगल्या
7. रामकिशोर पुत्र सेडू
8. सुरेश पुत्र परमानन्द
9. सीताराम पुत्र परमानन्द
10. नानची देवी पत्नी सुवालाल
11. हरसहाय पुत्र सेडू


समस्त जाति माली(सैनी), निवासी खोरी, तहसील- शाहपुरा, जिला जयपुर।

-वादीगण



बनाम


1. कालू पुत्र गणेश (फौत)
- 1/1 दिलीप पुत्र पप्पू
- 1/2 हरि पुत्र भैरू
- 1/3 गोपाल पुत्र भैरू
- 1/4 मंजू पत्नि रमती
- 1/5 आदित्य पुत्र रमती
- 1/6 मीरा पुत्री भैरू
- 1/7 नाथू पुत्र प्रभूदयाल
- 1/8 पिन्दू पुत्र प्रभूदयाल
- 1/9 धोलू पुत्र प्रभूदयाल
- 1/10 प्रेम पुत्री प्रभूदयाल
- 1/11 सुन्दरी पुत्री प्रभूदयाल
- 1/12 तारा पुत्री प्रभूदयाल
- 1/13 सन्ती पुत्री प्रभूदयाल
- 1/14 अंची पत्नि गिरधारी
- 1/15 मीरा पत्नि सुरेश
- 1/16 उमेश पुत्र सुरेश
- 1/17 लोकेश पुत्री सुरेश
- 1/18 अनिसा पुत्री सुरेश
- 1/19 महेन्द्र पुत्र गिरधारी
- 1/20 माया पुत्री गिरधारी
- 1/21 विमला पुत्री गिरधारी
- 1/22 गीता पुत्री गिरधारी


सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) सज.

वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता सं०-554 के खसरा नं०-1061/2588/0.04, 873/0.75, 874/0.06, 875/0. 879/0.13, 876/0.72, 06. 878/0.28, 877/0.16, 880/0.12, 88/0.12, 882/0.01, 883/0.17, 884/0.34, 885/0.44 कुल कित्ता 14 कुल रकबा 3.40 हैक्टर वाकै ग्रामखोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्जे हाल है। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र पेश है। यह कि वाद पत्र के खण्ड सं०-1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है जबकि पक्षकारान मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करते चले आ रहे हैं। यहकि अर्सा-5 रोज पूर्व को वादीगण ने आराजी का सहमती से बंटवारा करवाने के लिए प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण बंटवारा करवाने के लिए साफ इंकारी हो गये जबकि वादीगण अपनी भूमि के नम्बर व खाता अलग करवाकर भूमि की किस्म परिवर्तन करवाना चाहता है जिस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादी की आराजी का वैधानिक बंटवारा नहीं होने दिया या उपयोग उपभोग में मदाखलत पैदा कर दिया तो वादीगण को ना काबिले तलाफी होगी तथा वादीगण के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवं वादीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप से धनराशि में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान में परस्पर मुकदमें बाजी बढेगी। वाद कारण वाद पत्र की खण्ड सं०-3 के मुताबिक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है अतः दावा अन्दर मियाद पेश है। यहकि वादी वाद पत्र के खण्ड सं०-1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा करवाने तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने

की पूर्ण अधिकारी है।

अतः निवेदन किया कि वाद पत्र के जिमन नं०-1 में वर्णित भूमि हाल आराजी खाता सं०-554 के खसरा नं०-1061/2588/0.04, 873/0.75, 874/0.06, 875/0.06, 876/0.72, 877/0.16, 878/0.28, 879/0.13, 880/0.12, 88/0.12, 882/0.01, 883/0.17, 884/0.34, 885/0.44 कुल कित्ता 14 कुल रकबा 3.40 हैक्टर वाकै ग्रामखोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान का वादीगण व तथा प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमो के मुताबिक कानूनी बंटवारा करवाया।


सहायक कलेक्टर
शमहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

जाकर राज लगान अलग अलग निर्धारित किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड मे किया जावे। यहकि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे बाद पत्र के जिमन नं0-1 में वर्णित हाल आराजी खाता सं0-554 के खसरा नं0-1061/2588/0.04, 873/0.75, 874/0.06, 875/0.06, 876/0.72, 877/0.16, 878/0.28, 879/0.13, 880/0.12, 88/0.12, 882/0.01, 883/0.17, 884/0.34, 885/0.44 कुल किता-14 कुल रकबा 3.40 हैक्टर वाकै ग्रामखोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान में बाद बंटवारा वादीगण के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे वादीगण को शान्ति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे। व जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे तथा उक्त आराजी मुतनाजा पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे व राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये। वकील वादी ने प्रकरण में प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। प्रकरण में अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल ने प्रतिवादी संख्या 5, 14, 27 की ओर से वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुआ। प्रकरण में वकील उभयपक्ष ने प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर कोई आपत्ति पेश नहीं की एवं स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 ता 13, 15 ता 26, 28 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/28 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील

वकील प्रतिवादी व वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5, 14, 27 ने भी उपस्थित होकर दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया एवं आदेशिका पर सहमति बाबत् हस्ताक्षर किये। वकील उभयपक्ष सहमत होने से दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रैजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/5813 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष ने प्रकरण में कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली व कुर्रैजात रिपोर्ट का अवलोकन

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

किया गया। चूंकि वकील उभयपक्ष प्रकरण में प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष ने कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः कुरैजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खाता सं०-554 के खसरा नं०-1061/2588/0.04, 873/0.75, 874/0.06, 875/0.06, 876/0.72, 877/0.16, 878/0.28, 879/0.13, 880/0.12, 88/0.12, 882/0.01, 883/0.17, 884/0.34, 885/0.44 कुल किता 14 कुल रकबा 3.40 हैक्टर वाकै ग्रामखोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

1. अर्जुनलाल पुत्र सेडू हिस्सा- 1/24 जाति-माली, कमली देवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा-1/24 जाति- माली, कैलाश पुत्र सुवालाल हिस्सा- 11/126 जाति-माली, गोरुमल पुत्र सुन्दर हिस्सा 1/9 जाति माली, नरसा राम पुत्र सुन्दर हिस्सा 1/9 जाति-माली, नानची देवी पत्नि सुवालाल हिस्सा- 1/42 जाति- माली, रुधा पुत्र गंगल्या हिस्सा 1/6 जाति माली, रामकिशोर पुत्र सेडू हिस्सा 1/24 जाति-माली, सुरेश पुत्र परमानन्द सैनी हिस्सा- 1/6 जाति-माली, सीताराम पुत्र परमानन्द सैनी शेर-1/6 जाति-माली, हरसहाय पुत्र सेडू हिस्सा 1/24 जाति माली सा० देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नं 876/3 रकबा 0.3550 है०, 873/1 रकबा 0.6400 है०, 885/1 रकबा 0.1879375 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.18293750 है० भूमि रहेगी।

2. गोपाल पुत्र गैरूलाल हिस्सा सम्पूर्ण हिस्सा जाति-माली सा० देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नं. 874 रकबा 0.06 है०, 875 रकबा 0.06 है०, 876/5 रकबा 0.07715625 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.19715 है० भूमि रहेगी।

3. उर्मिला पुत्री बोदूराम हिस्सा माली 1/42 जाति-माली, कालू पुत्र गणेश हिस्सा- 2/7 जाति माली (प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/28 तक के कालू के वरिसान), ज्यानादेवी पुत्री मुसाराम हिस्सा- 2/21 जाति-माली, धनश्याम पुत्र भीतर हिस्सा- 1/70 जाति-माली, नन्दकिशोर पुत्र हनुमान हिस्सा-1/28 जाति- माली, नरेन्द्र पुत्र बोदूराम हिस्सा- 1/42 जाति-माली, प्रेमदेवी पत्नि


सहायक क्लर्क
शाहपुरा (जिला-जयपुर) सज.

फूलचन्द उर्फ नरेन्द्रदेव 1/14 जाति माली, पवनकुमार पुत्र छीतर हिस्सा- 2/21 जाति-माली, पाचूराम पुत्र मूसाराम हिस्सा - 2/27 जाति-माली, बाबूलाल पुत्र छीतर हिस्सा- 1/70 जाति-माली, मन्नीदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद शेर- 1/14 जाति- माली, मीनूदेवी पुत्री बोदूराम हिस्सा- 1/42 जाति-माली, रुड़ा पुत्र गंगल्या हिस्सा- 1/7 जाति माली, रामगोपाल पुत्र छीतर हिस्सा- 1/70 जाति-माली, लालचन्द पुत्र छीतर हिस्सा- 1/70 जाति-माली, संतोष पुत्र हनुमान शेर- 1/28 जाति-माली, सीताराम पुत्र बोदूराम हिस्सा- 1/42 जाति-माली सा 0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा न. 873/2 रकबा 0.0734 है 0, 876/2 रकबा 0.04 है 0, 876/4 रकबा 0.08324375 है 0, 877 रकबा 0.1367 है 0, 878/2 रकबा 0.1070 है 0, 880 रकबा 0.12 है 0, 881 रकबा 0.12 है 0, 883 रकबा 0.17 है 0, 884/2 रकबा 0.3304 है 0, 885/2 रकबा 0.1993625 है 0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.3800 है 0 भूमि रहेगी।

4. अर्जुनलाल पुत्र सेडू हिस्सा- 1/64 जाति-माली, आंचीदेवी पत्नि बद्रीप्रसाद हिस्सा- 1/96 जाति- माली, उर्मिला पुत्री बोदूराम हिस्सा- 1/96 जाति-माली, कमली देवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा- 1/64 जाति- माली, कैलाश पुत्र सुवालाल हिस्सा- 11/336 जाति- माली, कालू पुत्र गणेश हिस्सा 1/8 जाति माली (प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/28 तक के कालू के वारिसान), गुलाबचन्द पुत्र चौथू हिस्सा 1/40 जाति-माली, गोपाल पुत्र भैरूलाल शेर- 1/16 जाति-माली, गोरुमल पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/24 जाति-माली, जय दयाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/120 जाति माली, ज्यानादेवी पुत्री मुसाराम हिस्सा 1/24 जाति- माली, देवेन्द्र कुमार सैनी पुत्र कैलाशचन्द हिस्सा-1/80 जाति माली, घनश्याम पुत्र छीतर हिस्सा- 1/160 जाति-माली, नन्दकिशोर पुत्र चौथू हिस्सा- 1/40 जाति-माली, नन्दकिशोर पुत्र हनुमान हिस्सा- 1/64 जाति- माली, नरेन्द्र पुत्र बोदूराम हिस्सा- 1/96 जाति-माली, नरसा राम पुत्र सुन्दर हिस्सा- 1/24 जाति-माली, नानची देवी पत्नि सुवालाल हिस्सा- 1/112 जाति- माली, प्रेमदेवी पत्नी फूलचंद उर्फ नरेन्द्रदेव शेर-1/32 जाति माली, पवनकुमार पुत्र छीतर हिस्सा- 1/160 जाति-माली, पाचूराम पुत्र मूसाराम हिस्सा- 1/24 जाति-माली, बाबूलाल पुत्र स्व. बद्री प्रसाद भाग-7/480 जाति माली, बाबुलाल पुत्र छीतर हिस्सा 1/160 जाति-माली, मन्नीदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद हिस्सा- 1/32 जाति माली, मीनूदेवी पुत्री बोदूराम हिस्सा 1/96 जाति-माली, रुधा पुत्र गंगल्या हिस्सा 1/16

सहायक कलक्टर
शमशपुरा (जिला-जयपुर) राज.

जाति-माली, रुड़ा पुत्र गंगल्या हिस्सा- 1/16 जाति माली, रमेश चन्द्र पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 1/120 जाति माली, रवि कुमार सैनी पुत्र कैलाशचन्द हिस्सा-1/80 जाति माली, रामकिशोर पुत्र सेडू हिस्सा 1/64 जाति-माली, रामगोपाल पुत्र छीतर हिस्सा- 1/160 जाति-माली, रामलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/120 जाति- माली, लालचन्द पुत्र छीतर हिस्सा- 1/160 जाति-माली, संतोष पुत्र हनुमान शेर- 1/64 जाति-माली, सुरेश पुत्र परमानन्द सैनी शेर 1/16 जाति माली, सीताराम पुत्र परमानन्द सैनी शेर-1/16 जाति-माली, सीताराम पुत्र बोदूराम हिस्सा- 1/96 जाति-माली, हरसहाय पुत्र सेडू हिस्सा 1/64 जाति-माली सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा न. 1061/2588 रकबा 0.04 है0, 882 रकबा 0.01 है0, 877/2 रकबा 0.0233 है0, 873/3 रकबा 0.0366 है0, 876/6 रकबा 0.0733 है0, 884/1 रकबा 0.0096 है0, 885/3 रकबा 0.0527 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 0.2455 है0 भूमि रहेगी।

5. आंचीदेवी पत्नि बद्रीप्रसाद हिस्सा- 1/12 जाति- माली, गुलाबचन्द पुत्र चौथू हिस्सा 1/5 जाति-माली , जय दयाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/15 जाति माली, देवेन्द्र कुमार सैनी पुत्र कैलाशचन्द हिस्सा-1/10 जाति- माली, नन्दकिशोर पुत्र चौथू हिस्सा 1/5 जाति-माली ,बाबुलाल पुत्र स्व. बद्रीप्रसाद हिस्सा- 7/60 जाति- माली, रमेश चन्द्र पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/15 जाति-माली, रवि कुमार सैनी पुत्र कैलाशचन्द हिस्सा-1/10 जाति माली, रामलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/15 जाति माली सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा न. 879 रकबा 0.13 है0, 878/1 रकबा 0.1730 है0, 876/1 रकबा 0.0913 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.3943 है0 भुमि रहेगी ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुरेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काशत में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पचा डिफ्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास युनाया गया ।

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
 सहायक कमिश्नर (एस्ट-ट्रैक)
 शाहपुरा जिला रामपुर

